

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1, खंड 1 में प्रकाशनार्थ किया जाना है

फा.सं. 7/01/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 मार्च, 2026

जांच शुरुआत की अधिसूचना
(मामला संख्या: -सीवीडी (एसी)-01/2026)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के और थाईलैंड से निर्यातित "सच्चारिन" के आयात पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के संबंध में प्रवचनारोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/01/2026-डीजीटीआर मैसर्स स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "स्वाति" कहा गया है) और मैसर्स ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड (जिसे इसके बाद "ब्लू जेट" कहा गया है) (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "आवेदक" कहा गया है) ने यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क(सब्सिडी वाली वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' कहा गया है) के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष यह तर्क देते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया है कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सच्चारिन" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयात पर लगाए गए इन प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों की थाईलैंड (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से "सच्चारिन" (जिसे इसके बाद "जांचाधीन उत्पाद" अथवा "पीयूआई" कहा गया है) के निर्यातों के माध्यम से प्रवचना की जा रही है।

क. पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 26 मार्च 2024 को अधिसूचना संख्या 7/34/ 2023 - डीजीटीआर के माध्यम से चीन जन.गण. से सच्चारिन के आयात पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों की

निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। अंतिम जांच परिणाम चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सच्चारिन के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हुए 27 नवंबर 2024 को जारी किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने 2025-सीमा शुल्क (सीवीडी) की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01, दिनांक 25 फरवरी 2025 द्वारा सिफारिश किए गए निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए। ये शुल्क अभी भी चीन से संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद "सच्चारित" है (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है)। पिछली की गई जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच इस प्रकार थी:

"11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सभी रूपों में सच्चारिन" है। "सच्चारिन" एक गैर-पोषक स्वीटनर है और इसे गन्ने की चीनी के लिए कम कैलोरी विकल्प माना जाता है। मुख्य रूप से सच्चारिन दो प्रकार के होते हैं, यानी घुलनशील और अघुलनशील। बाजार की भाषा में घुलनशील सच्चारिन को सोडियम सच्चारिन कहा जाता है जबकि अघुलनशील सच्चारिन को सच्चारिन या सच्चारिन एसिड कहा जाता है। सच्चारिन दो भौतिक रूपों में निर्मित होता है, अर्थात् दानेदार और पाउडर। दानेदार रूप में सोडियम सैकरीन का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां सच्चारिन घुल जाएगा, पाउडर के रूप में जिसे जमीन पर लाया गया है और धार देकर सुखाया गया है, इसका उपयोग सूखे मिश्रणों और फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। यह पानी में थोड़ा घुलनशील है। सच्चारिन का अघुलनशील रूप कई दवा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। सच्चारिन का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जैसे कि खाद्य और पेय पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, टेबल टॉप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर, फार्मास्यूटिकल्स आदि। सच्चारिन के सभी रूप वर्तमान जांच के क्षेत्र में हैं।

12. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित किए गए अनुसार ही है। प्राधिकारी का मानना है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

13. मेश आकार के आधार पर उत्पाद की कीमत और लागत पर दावे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे तर्क को प्रमाणित करने वाला कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने इस संबंध में रिकॉर्ड पर उत्पादन की लागत और जाल

आकार के चयन की प्रक्रिया का विवरण रखा है, जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि जाल आकार अंतिम उत्पाद की लागत या कीमत को प्रभावित नहीं करता है।

14. जहां तक आवेदकों के इस अनुरोध का संबंध है कि विचाराधीन उत्पाद में सभी प्रकार के सच्चारिन शामिल हैं, विशेष रूप से- घुलनशील सच्चारिन, सोडियम सच्चारिन तथा सच्चारिन का नमक तथा अघुलनशील सच्चारिन, प्राधिकारी सबसे पहले मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में दिए गए अपने विवरणों का उल्लेख करते हैं, जहां यह माना गया था कि घुलनशील सच्चारिन को बाजार की भाषा में सोडियम सच्चारिन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए साहित्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सच्चारित का नमक केवल सोडियम सच्चारिन और घुलनशील सच्चारिन के लिए एक अलग शब्द है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सच्चारिन का नमक भी सच्चारिन का एक रूप है। अतः, यह माना जाता है कि सच्चारिन का नमक भी सच्चारिन का एक रूप है, और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल है।

15. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सच्चारिन को एचएस कोड 29251100 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

16. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में कोई जात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों के तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

17. प्राधिकारी का मानना है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।”

3. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क उपशीर्ष 29251100 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. जांचाधीन उत्पाद

4. जांचाधीन उत्पाद जो तथाकथित रूप से चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की प्रवंचना कर रहा है, थाईलैंड से निर्यातित सच्चारिन है, जिसे "जांचाधीन उत्पाद" या "पीयूआई" भी कहा गया है। जांचाधीन उत्पाद को सीमा शुल्क उपशीर्ष 29251100 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी तरह से इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

5. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

6. यह आवेदन-पत्र स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। दो अन्य उत्पादक हैं जो संबद्ध संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात् एएस केमोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड और श्री वर्दायिनी केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने दायर किए गए आवेदन-पत्र का समर्थन किया है।
7. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, न ही वे चीन या थाईलैंड में किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है।

ड. तथाकथित प्रवंचना और उपचारात्मक प्रभाव कम करने का आधार:

8. मौजूदा प्रवंचनारोधी शुल्क को कथित तौर पर दरकिनार करते हुए थाईलैंड से पीयूआई पर लागू अधिसूचना संख्या 01/2025- सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 25 फरवरी 2025 के अनुसार लगाए गए मौजूदा प्रवंचनारोधी शुल्क को बढ़ाए जाने की मांग करते हुए प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदन

पत्र दायर किया गया है। आवेदकों ने प्रवंचनारोधी जांच की मांग करने के लिए कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सच्चारिन के आयात पर लगाए गए प्रवंचनारोधी शुल्क की थाईलैंड से भेजे गए आयात के माध्यम से प्रवंचना की जा रही है।
- ख. यह दावा किया गया है कि फरवरी 2025 में चीन जन.गण. पर प्रवंचनारोधी शुल्क लगाने और थाईलैंड पर प्रवंचनारोधी शुल्क की समाप्ति के बाद व्यापार के पैटर्न में काफी परिवर्तन आया है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से बचने को छोड़कर व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के लिए कोई पर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य नहीं है।
- ग. थाईलैंड से सच्चारिन का आयात कथित तौर पर अगस्त 2019 में चीन जन.गण. पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के बाद ही शुरू हुआ था, उसके बाद इसमें वृद्धि हुई, अक्टूबर 2022 में थाईलैंड पर प्रवंचनारोधी शुल्क लगाने के बाद इसमें गिरावट आई और थाईलैंड पर शुल्क बंद होने के बाद फिर से तेज हो गया।
- घ. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड से निर्यातित सच्चारिन थाईलैंड में उत्पादित नहीं होता है, बल्कि चीनी मूल का होता है और केवल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए थाईलैंड के माध्यम से भेजा जाता है।
- ड. यह तर्क दिया गया है कि थाईलैंड में सच्चारिन के लिए कोई वास्तविक विनिर्माण सुविधाएं नहीं हैं और पहचाना गया निर्यातक एक उत्पादक के बजाय एक व्यापारी/निर्यात गृह के रूप में काम करता है।
- च. आवेदकों ने पिछली प्रवंचनारोधी जांच के जांच परिणामों पर भरोसा किया है, जिसमें थाईलैंड से निर्यात चीनी मूल का होने का निष्कर्ष निकाला गया था जिसमें सब्सिडी वाले इनपुट शामिल थे।
- छ. आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि थाईलैंड से आयात कीमत चीन जन.गण. से आयात कीमतों से कम हैं। यह आरोप लगाया गया है कि थाईलैंड से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की कटौती करती हैं और यह कीमत कटौती प्रस्तावित जांच की अवधि में बढ़ गई है।

ज. आवेदकों ने दावा किया है कि थाईलैंड से आयात की मात्रा और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जो प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान घरेलू मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

9. आवेदकों ने थाईलैंड के माध्यम से सुरक्षित की गई पीयूआई पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पूर्व की तारीख से लगाए जाने का अनुरोध किया है।
10. आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि (i) व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन है जिसमें थाईलैंड से सच्चारिन के आयात किसी पर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य के बिना 2024-25 बार जांच की अवधि में काफी अधिक स्तर तक बढ़ गए हैं और (ii) थाईलैंड से सच्चारिन के ये आयात चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपाय के उपचारात्मक प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं।

च. जांच की शुरुआत

11. आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में दायर आवेदन-पत्र के आधार पर, थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयात द्वारा चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपायों की प्रवंचना का तर्क देते हुए और मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपायों के उपचारात्मक प्रभाव को कम करने वाले व्यापार की पद्धति में परिवर्तन के संबंध में स्वयं संतुष्ट होकर, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 27 के अनुसार इस जांच की शुरुआत की तारीख से चीन से आयातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर थाईलैंड से आयातित जांचाधीन उत्पादों में मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क बढ़ाए जाने पर विचार करने के लिए सीवीडी नियमावली के नियम 25 और 26 तथा अधिनियम की धारा 9(1)(i) के अनुसार प्रवंचनारोधी जांच शुरू करते हैं।

छ. शुल्क पूर्व तारीख से लगाना और अनंतिम मूल्यांकन की आवश्यकता

12. आवेदकों ने प्राधिकारी से नियम 27(1) के अनुसार प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पूर्वव्यापी की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश करने के लिए और नियमावली के नियम 26(4) के अनुसार अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया है। हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के अनुसार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
13. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नियमावली के नियम 26(4) के अनुसार इस समीक्षा के पूरा होने तक विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करते हैं।

ज. संबद्ध देश

14. इस प्रवचन में शामिल संबद्ध देश थाईलैंड है।

झ. जांच की अवधि

15. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि अप्रैल 2025 -सितंबर 2025 (6 माह) पर विचार किया है। क्षति जांच की अवधि 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>). पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल - सीवीडी/एसी/19122025/01 पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कल्यात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

17. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

19. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल <https://setu.dgtr.gov.in> पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यपद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के

संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी-सीवीडी/एसी/19122025/01 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें।
22. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
23. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
24. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष को गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करने की आवश्यकता है।
27. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
29. हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।
30. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।
31. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।


32. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
33. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ढ. असहयोग

35. यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।


(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकार